बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आ0सं0–निग / सारा–01 (पथ)–आरोप–23 / 2023– पटना, दिनांक.....

आदेश

श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति सेवानिवृत को विभागीय पदस्थापन आदेश के अनुपालन नहीं किये जाने संबंधी आरोप के लिए विहित प्रारूप में आरोप पत्र गठित करते हुए पत्रांक–4193 (ई०), दिनांक 30.08.2024 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उन्होंने पत्रांक–30 अनु०, दिनांक 09.09.2024 के द्वारा एतद संबंधी अभ्यावेदन समर्पित किया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत संतोषजनक नहीं पाते हुए कार्यालय आदेश संख्या–161–सहपठित ज्ञापांक–5006 (ई०) दिनांक 07.10.2024 द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का संचालन किया गया। कालांतर में श्री सिंह के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश संख्या–183 सहपठित ज्ञापांक–5864 (ई), दिनांक–22.11.2024 द्वारा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत संपरिवर्तित किया गया।

2. श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप का एकमात्र बिन्दु निम्नवत है :–

"CWJC No-3928/2017 से उत्पन्न LPA No-986/2017 (अनिल कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 11.01.2018 को पारित न्यायादेश एवं श्री सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 16.01.2018 के आलोक में विभागीय मुखर आदेश संख्या–1719 (एस) दिनांक– 06.03.2018 के द्वारा श्री अनिल कुमार सिह, कनीय अभियंता का पदस्थापन पथ प्रमंडल, हिलसा में किया गया। इसी क्रम में अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना के पत्रांक–11, दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री सिह का सेवापुस्त एवं LPC पथ प्रमंडल, हिलसा को भेजा गया तथा अधीक्षण अभियंता के संशोधित कार्यालय आदेश सं०–12, दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री सिंह को हिलसा में योगदान करने हेतु आदेश निर्गत की तिथि से विरमित किया गया।

विभागीय पत्रांक–2582 (ई.), दिनांक 05.04.2018 ज्ञापांक–3041 (ई.), दिनांक 26.04.2018 एवं विभागीय पत्रांक–3639 (एस) दिनांक–18.05.2018 द्वारा उन्हें पथ प्रमंडल, हिलसा में योगदान करने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना के पत्रांक–1474, दिनांक 20.06.2022 एवं पत्रांक–2437, दिनांक 26.09.2022 के द्वारा भी उन्हें विभागीय निदेश का अनुपालन करते हुए पथ प्रमंडल, हिलसा में योगदान करने का निदेश दिया गया। इस तरह बार–बार श्री सिंह को पथ प्रमंडल, हिलसा में योगदान करने के सबंध में निदेशित किये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा अभी तक निर्धारित कार्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया है।''

3. उल्लेखनीय हैं कि उक्त आरोप के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोपी श्री सिंह ने जाँच प्रक्रिया में सहयोग नही किया तथा सुनवाई के लिए निर्धारित 07 (सात) तिथियों में किसी भी दिन वे सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए तथा न ही उन्होंने अपना बचाव–बयान समर्पित किया। फलतः संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–37 (अनु), दिनांक–16.05.2025 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में अभिलेखों के आधार पर आरोप को प्रमाणित पाये जाने संबंधी मंतव्य प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–3791 (ई), दिनांक–17.06.2025 के द्वारा श्री सिंह से लिखित अभिकथन के रुप में द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

4. श्री सिंह ने पत्रांक–15 अनु०, दिनांक 24.06.2025 से एतद् संबंधी अपना लिखित अभिकथन समर्पित किया। उनके लिखित अभिकथन का कंडिकावार विभागीय समीक्षा की गयी तथा

उनके तर्क, तथ्य एवं साक्ष्य मान्य नहीं होने की स्थिति में प्रमाणित पाये गये आरोप के संदर्भ में कार्यालय आदेश संख्या–223–सहपठित ज्ञापांक–7731 (ई०) दिनांक 18.11.2025 के द्वारा उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत निम्नलिखत दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया :–

"पेशन से 05 प्रतिशत की कटौती 05 (पाँच) वर्षो तक।"

5. उपर्युक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह ने पत्रांक–28 अनु० दिनांक–28.11.2025 के द्वारा अपना अपील अभ्यावेदन समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा आपत्ति के जिन बिन्दुओं को अंकित किया गया है वह कमोवेश उनके द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर के रूप में समर्पित लिखित अभिकथन का दुहराव है, जिसपर उनपर दण्डादेश अधिरोपित करने के क्रम में ही निर्णय लिया जा चुका है। श्री सिंह के अपील अभ्यावेदन पर निर्णय लिये जाने से पूर्व अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दिनांक 20.01.2026, दिनांक 02.04.2026 एवं दिनांक 28.04.2026 को उनकी व्यक्तिगत सुनवाई निर्धारित की गयी। प्रारंभिक दो निर्धारित तिथियों को कतिपय कारणवश सुनवाई नहीं हो पाया, लेकिन दिनांक 28.04.2026 को निर्धारित सुनवाई अपीलीय प्राधिकार के द्वारा की गयी। श्री सिंह के द्वारा उक्त निर्धारित सुनवाई में आरोप के संबंध में कोई नया तथ्य/तर्क नहीं रखा गया। उन्होंने सुनवाई के दौरान अपना एक अभ्यावेदन पत्रांक–28, दिनांक 28.04.2026 समर्पित किया। उल्लेखनीय है कि श्री सिंह के द्वारा अपने मूल अपील अभ्यावेदन के अतिरिक्त उक्त समयावधि में अन्य अभ्यावेदन भी समर्पित किया गया। श्री सिंह के मूल अपील अभ्यावेदन पत्रांक–28, अनु० दिनांक 28.11.2025 के अतिरिक्त समर्पित अभ्यावेदनों के संबंध में वस्तुस्थिति का अंकन अग्रेतर कंडिकाओं में की जा रही

5.1 श्री सिंह ने अपने अपील अभ्यावेदन में मूल रूप से पदस्थापन संबंधी उक्त आरोप के प्रथम पारा में अंकित अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना के पत्रांक–11, दिनांक 04.01.2021 एवं अधीक्षण अभियंता के संशोधित कार्यालय आदेश संख्या–12, दिनांक 04.01.2021 के संबंध में विभिन्न अनर्गल तथ्यों का सहारा लेते हुए अंकित किया है कि–अधीक्षण अभियंता का उक्त पत्र एवं आदेश गलत/जाली/कूटरचित है तथा सामान्य प्रशासन विभाग के मंतव्य के अनुसार पथ प्रमंडल, हिलसा में योगदान देने हेतु उनके पूर्व के निर्गत LPC एवं विरमन आदेश को नियमानुसार निरस्त नहीं किया गया है तथा उन्हें पथ प्रमंडल, हिलसा में योगदान देने हेतु विरमित भी नहीं किया गया है। अतः सेवानिवृति तक वे केन्द्रीय पथ अंचल में ही पदस्थापित माने जायेंगे तथा पथ प्रमंडल, हिलसा में योगदान नहीं किये जाने संबंधी उक्त आरोप आधारहीन है। इस आलोक में उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड को निरस्त किया जाय।

5.2 श्री सिंह के द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में ही स्थापना प्रशाखा–03 की संचिका संख्या–प्र०–3/सी–7–12/2018 के टिप्पणी पृष्ठ–20 की छायाप्रति संलग्न की गयी है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निम्नलिखित परामर्श अंकित किया गया है :–

"उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रशासी विभाग द्वारा श्री सिंह का स्थानान्तरण अररिया में करते हुए उनका अररिया के लिए विरमन आदेश एवं एल०पी०सी० निर्गत किया गया था। परन्तु उस स्थानान्तरण आदेश का कार्यान्वयन नहीं हुआ और कालान्तर में न्यायिक आदेश के अनुपालन में प्रशासी विभाग द्वारा अपने पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए श्री सिंह का पदस्थापन अररिया के स्थान पर हिलसा किया गया। वर्णित स्थिति में श्री सिंह के संदर्भ में पूर्व में निर्गत विरमन आदेश तथा LPCको निरस्त करते हुए प्रशासी विभाग द्वारा श्री सिंह के संदर्भ में पथ प्रमंडल, हिलसा के लिए संशोधित विरमन आदेश तथा LPC निर्गत किया जाना आवश्यक है।"

5.3 उक्त मंतव्य दिनांक 14.12.2020 को प्राप्त है, जबकि अधीक्षण अभियंता का संशोधित कार्यालय आदेश ज्ञापांक–12, दिनांक–04.01.2021 से स्पष्ट होता है कि उक्त मंतव्य के अनुपालन में ही अधीक्षण अभियंता के पत्रांक–386, दिनांक 07.03.2017 से पथ प्रमंडल अररिया हेतु पूर्व के निर्गत विरमन आदेश एवं पत्रांक–456, दिनांक 10.03.2017 द्वारा पूर्व के निर्गत अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र (LPC) को निरस्त करते हुए श्री सिंह को पथ प्रमंडल, हिलसा में योगदान करने हेतु पथ निर्गत की तिथि से विरमित किया गया है। आरोपी श्री सिंह के विरूद्ध गठित उक्त आरोप के लिए आरोप बिन्दु एवं साक्ष्य अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना के द्वारा ही उपलब्ध कराया गया है। अतः श्री सिंह का यह कहा जाना कि–सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के अनुसार उनके पूर्व के निर्गत विरमन आदेश एवं LPC को निरस्त नहीं किया गया है तथा उन्हें पथ प्रमंडल, हिलसा योगदान हेतु विरमित नहीं किया गया है–तथ्यहीन है।

5.4 उक्त मूल आपत्ति बिन्दु के अतिरिक्त श्री सिंह ने अपने द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर में रखें गये बचाव के बिन्दुओं को पुनः प्रस्तुत किया है, यथा–उन्हें आरोप से संबंधित साक्ष्य नहीं दिये गये, इसी क्रम में गवाहों का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण नहीं कराया गया, उनके विभागीय कार्यवाही में नियुक्त संचालन पदाधिकारी श्री रणेन्द्र कुमार उनके प्रति पूर्वाग्रहित है, समान आरोप के लिए उनपर दूसरी बार विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी आदि। अपने बातों को बल प्रदान करने के लिए वे कभी सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश तो कभी माननीय उच्च न्यायालय में उक्त कार्रवाई के विरूद्ध उनके द्वारा दायर किये गये समादेशवाद का गलत व्याख्या के साथ जिक्र करते है।

5.5 उनके उक्त सभी आपत्ति बिन्दुओं का समाधान पूर्व में ही उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्डादेश में किया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री सिंह विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित 07 (सात) सुनवाई की तिथियों में एक भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। उन्हें दो–दो अवसर पर आरोप से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराये गये, इसके बावजूद वे साक्ष्य की मांग करते रहे। चूंकि उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही में सहयोग प्रदान नहीं किया गया, अतः गवाहों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का भी कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह जिस समान आरोप का वह जिक्र करते है उसका समाधान आलोच्य दण्डादेश के कंडिका–8 में पूर्व में ही कर दिया गया है।

6. उल्लेखनीय है कि श्री सिंह के द्वारा अन्तिम सुनवाई अवधि के बीच में मूल अभ्यावेदन के अतिरिक्त भी अनेकानेक अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें कतिपय आवेदनों का उल्लेख निर्णय लिये जाने के क्रम किया जा रहा है :–

6.1 **पत्रांक–02, दिनांक–20.01.2026**

इस पत्र को अपीलार्थी श्री सिंह ने अपीलीय प्राधिकार को संबोधित कर के समर्पित किया है, लेकिन इसका एक भी कंडिका श्री सिंह के विरूद्ध अधिरोपित दंड के विरूद्ध अपील से संबंधित नहीं है। वस्तुतः इस पत्र में उन्होंने अपने विभिन्न स्थापना एवं पुराने अनुशासनिक मामले (जिनका निष्पादन हो चुका है) का उल्लेख किया है, जिसका आलोच्य मामले से सीधे–सीधे कोई संबंध नहीं है। अतः उनका यह पत्र अपील में विचारण योग्य नहीं पाया गया।

6.2 **पत्रांक–05, दिनांक–28.01.2026**

इस पत्र में श्री सिंह ने विभिन्न संदर्भहीन तथ्यों आदि का सहारा लेते हुए प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि वस्तुतः वे पथ प्रमंडल, हिलसा में कभी पदस्थापित ही नहीं रहे हैं, इसलिए पथ प्रमंडल, हिलसा के विरूद्ध निर्गत दंडादेश का प्रभाव उनके प्रति शून्य है। उल्लेखनीय है कि श्री सिंह के विरूद्ध आरोप ही पथ प्रमंडल, हिलसा में योगदान नहीं किये जाने से संबंधित है, जिसके संबंध में विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं तद्नुसार उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के रूप

(12) आई० ई० मैनेजर

में समर्पित लिखित अभिकथन पर निर्णय लेते हुए उनके विरूद्ध दंड अधिरोपित किया गया है। इस संबंध में उनके मूल अपील अभ्यावेदन पत्रांक–28, दिनांक–28.11.2025 में भी उनके द्वारा तर्क दिया गया है, जिसका खण्डन ऊपर के कंडिकाओं में किया गया है।

6.3 **पत्रांक–08 (अनु०), दिनांक–09.02.2026**

इस पत्र को भी उन्होंने अपीलीय प्राधिकार को संबोधित करके समर्पित किया है तथा उनसे भारतीय साक्ष्य विधेयक–2023 के धारा– 74 एवं 75 के तहत् आलोच्य दंड प्रकरण से संबंधित स्वरचित/स्वविश्लेषित साक्ष्यों का माँग किया है।

उक्त माँग के संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त विधेयक द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 पारित है, जिसमें इसकी प्रभाविकता को परिभाषित करते हुए अंकित किया गया है कि–"It apllies to all judicial proceedings in or before any court, including court-martial, but not to affidavits presented to any Court or officer, nor to proceedings before an arbitrator." स्पष्ट है कि यह अधिनियम Court trail के दौरान साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु न्यायालय को शक्ति प्रदत्त करती है। धारा–74 एवं 75 भी सक्षम न्यायालय के लिए ही है। श्री सिंह के द्वारा गलत तरीके से उक्त अधिनियम के तहत् अपनी माँग अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जबकि आलोच्य दंड प्रकरण में उनके साक्ष्य संबंधी माँगों का समाधान निर्गत दंडादेश के कंडिका–4.1 एवं 4.2 में पूर्व में ही कर दिया गया है।

इसी तरह श्री सिंह के द्वारा दिनांक 28.04.2026 को निर्धारित सुनवाई के दौरान भी पत्रांक–28, दिनांक 28.04.2026 समर्पित किया गया, जिसमें आरोप के संबंध में कोई नया तथ्य/तर्क एवं साक्ष्य नहीं है। श्री सिंह के द्वारा आदतन मनोनुकूल निर्णय पाने के उद्देश्य से संदर्भ रहित अनेकानेक आवेदन समर्पित किया जाता है, जिस पर इस अपील प्रकरण में निर्णय लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

सम्यक विभागीय समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री सिंह के मूल अपील अभ्यावेदन पत्रांक–28, दिनांक 28.11.2025 एवं बाद में समर्पित अनेकानेक अभ्यावेदनों के अतिरिक्त दिनांक 28.04.2026 को निर्धारित सुनवाई में दिये गये आवेदन पत्रांक–28, दिनांक 28.04.2026 में कोई नया तथ्य/तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये, जिसपर नये सिरे से विचार किया जा सके। अतः सम्यक विचारोपरांत उनके मूल अपील आवेदन के अतिरिक्त इस क्रम में उनके द्वारा समर्पित सभी आवेदनों को अस्वीकृत किया जाता है।

ह०/–

सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक :–निग/सारा–01 (पथ)–आरोप–23/2023 /पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–01 (पथ)–आरोप–23/2023 पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, पथ निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, हिलसा/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–03), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 3/6/13/14, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्री अनिल कुमार सिंह, **पत्राचार का पता–अनामिका कुंज, रोड नं०–7, उत्तरी पटेल नगर, इन्द्रपुरी, नजदीक–बाबा चौक, पटना–800024** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

स्पीड पोस्ट

ह०/–
उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–01 (पथ)–आरोप–23/2023 3229 (E) /पटना, दिनांक 11/5/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

11.5.2026
उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

E/Nigrani Section/2011-12/Deepak Kumar/Adhisuchna/k.Adesh